

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 477 / 2026

अजय यादव एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

ट्रैफिक थाना कांड सं0 25 / 2026

अंतर्गत धारा 281, 324 B.N.S & Damage to property Act

23.03.2026

आवेदक अजय यादव एवं अनिल यादव उर्फ अनिल कुमार की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि उक्त वाद में आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की संभावना नहीं है । इसलिए आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की अनुमति दिया जाय ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन तथा आवेदकगण को पुलिस द्वारा नहीं गिरफ्तार किए जाने की संभावना को देखते हुए आवेदकगण अजय यादव एवं अनिल यादव उर्फ अनिल कुमार की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 477 / 2026 को वापसी के आधार पर खारिज किया जाता है ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)

अपर जिला सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष—न्यायाधीश
बिहारशरीफ, नालन्दा ।